

02/2/21

आज यह पत्रावली स्वधोषा से राज्य सरकारी न्यायालय में कैम कोर्ट ग्राम पंचायत... 21.01.2021... में दिनांक... 09.12.20... को पेश होने का बंधन हुआ। पक्षकारान् को कैम कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत... 21.01.2021... में उपस्थित होने का बंधन नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक... 09.12.20... को कैम कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत... 21.01.2021... पेश हो।

उपरखण्ड अधिकारी
रेणी जिला अलवर

09/2/21

आज यह पत्रावली कैम कोर्ट/राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान् से अपील की गई कि न्यायालय नहीं होने से प्रकरण का हिलारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली न्यायालय में ही दिनांक... 08-02-2022... को पेश हो।

राजासन गांव के संग अभियान 2021

उपरखण्ड अधिकारी
रेणी जिला अलवर

08/2/22

अभिभाषक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक... को पेश हो।

रीडर

06/04/22

पत्रावली पेश हुई। बाकी एवं वकील पक्षी अनुपस्थित। शालिवादी एवं शालिवादी वकील अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार आवान लगाने के कारण भी अनुपस्थित एवं पक्षकारान् से कोई उपस्थित नहीं। सुलवाइ के द्वारा दादरी एवं डाइम पेशी में

बनाम

मा

न


सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

खारिज हो चुका है। भूखण्ड का
विस्तारण हो जाने के कारण प्रार्थना
पत्र 212 RT Act का कोई कार्य
नहीं है।

कल: प्रार्थना पत्र 212 RT Act
की कार्यवाही होप की जाती है। पत्रावली
फैसल मुआर होकर खण्ड में रुक
की जाती है। तिलाव भूखण्ड है।


SDO